संख्या– 2230/आठ–2–11–247सा0/08 टी.सी.–1

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 09 अगस्त, 2011

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन भवनों के आवंटन की प्रकिया के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1654/आठ–2–2011–247सा0/08 टी.सी.–1, दिनांक 10–6–2011 द्वारा मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजनान्तर्गत निर्मित भवनों के आवंटन में आरक्षण व्यवस्था निर्धारित की गयी है। उक्त आरक्षण व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भवनों के आवंटन में निम्नवत् प्रकिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय:–

(1) मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत विभिन्न चरणों में निर्मित भवनों के आवंटन में निराश्रित विधवा/निराश्रित विकलांग/गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को वरीयता के क्रम में आवास आवंटित किये जायेंगे। आवास आवंटन में उक्त पात्रता के लाभार्थियों को अपने वर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण की सीमा में ही वरीयता प्रदान की जायेगी।

(2) शासनादेशसं0–1654/आठ–2–2011–247सा/08टी.सी.–1 दिनांक 10–6–11 के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि प्रथम चरण के आवंटन हेतु अवशेष भवनों को अनुसूचित जाति के लाभार्थियो कों तथा द्वितीय एवं तृतीय चरण के भवनों में 50 प्रतिशत भवन अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र लाभार्थियों को तथा 27 प्रतिशत भवन अन्य पिछडा वर्ग के पात्र लाभार्थियों को आवंटित किये जायेंगे।

(3) यदि संबंधित नगर निगम क्षेत्र/ नगर पालिका क्षेत्र/ नगर पंचायत क्षेत्र में निर्मित भवनों से अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग व सामान्य वर्ग के पात्र लाभार्थियों की संख्या अधिक हो तोअलग–अलग श्रेणी के पात्र लाभार्थियों की सूची बनाकर लाटरी के माध्यम से आवासों का आवंटन निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार किया जायेगा।

(4) यदि किसी निकाय में किसी श्रेणी के पात्र लाभार्थी अपनी श्रेणी के भवनों की संख्या से कम हों, तो प्रथमतः सम्बन्धित निकाय के पात्र लाभार्थियों को आरक्षण के अनुसार भवन आवंटित किये जायेंगे। तदोपरान्त अवशेष भवनों के आवंटन हेतु समीपवर्ती निकायों के उक्त तीनों श्रेणियों के पात्र लाभार्थियों को उनकी संख्या अधिक होने की दशा में लाटरी के माध्यम से आवास आवंटित किये जायेंगे।

2— अतः मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन भवनों के आवंटन की प्रक्रिया से संबंधित पूर्व में निर्गत शासनादेशों तथा शासनादेश संख्या—1654/आठ—2—2011—247सा0/08 टी.सी.—1, दिनांक 10—6—2011 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

भवदीय,

(रवीन्द्र सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या 2230 (1)/ आठ—2—11,तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर मंत्रिमण्डलीय सचिव,उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
4. प्रमुख सचिव, वित्त/समाज कल्याण/नगर विकास/नियोजन/न्याय/सूचना, उ0प्र0 शासन।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ग्रेटर नोयडा, जिला—गौतमबुद्ध नगर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभीकरण(सूडा) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ
9. निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, लखनऊ।
10. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय (श्री जमील अख्तर)
11. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0सिंह)
उप सचिव